इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 181]   भोपाल, बुधवार, दिनांक 7 जून 2023—ज्येष्ठ 17, शक 1945

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2023

घोषणा

(नियम-6)

क्र. एफ-3-1-3-0001-2023-एक-10.—यत:, यह अभिकथित किया गया है कि डॉ. रविकांत द्विवेदी, तत्कालीन संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त राहत, भोपाल ने मध्यप्रदेश राज्य में संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त राहत का पद धारण करते हुए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन अपराध किया है और अपराध क्रमांक 52 सन् 2014 को मामले का अन्वेषण किया गया था;

और, यत:, अभिलेख में सुसंगत सामग्री की छानबीन करने पर, राज्य सरकार की राय है कि डॉ. रविकांत द्विवेदी, पर जिसने भ्रष्ट साधनों का सहारा लेकर अपनी आय के स्रोतों से अननुपातिक संपत्तियां संचित की हैं, प्रथमदृष्ट्या प्रकरण बनता है;

और, यत:, राज्य सरकार द्वारा यह आवश्यक और समीचीन समझा गया कि उक्त अभियुक्त पर मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाना चाहिए;

अतएव, मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषणा करती है कि उक्त अपराध पर मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के अधीन कार्यवाही की जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.